

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

प्रेषक,

इम्तियाज अहमद करीमी
निदेशक (उर्दू)।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
निदेशक, उर्दू, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

पटना, दिनांक- 13 मई, 2016

विषय:-

बजट शीर्ष- "2053- जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएँ-0011-द्वितीय राजभाषा (उर्दू)
स्थापना- मांग संख्या-04 तथा विपत्र कोड-"एन0 2053000940011" के अन्तर्गत वित्तीय
वर्ष 2016-17 की शेष अवधि में उपयोग हेतु राशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार द्वितीय राजभाषा (उर्दू) के अधीन उर्दू निदेशालय, राज्य के
समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालयों के उर्दू भाषा कोषांग में पदस्थापित एवं कार्यरत उर्दू
अनुवादकों, सहायक उर्दू अनुवादकों, उच्चवर्गीय लिपिकों/निम्नवर्गीय लिपिकों तथा कार्यालय परिचारियों के
वेतनादि के भुगतान एवं अन्य आनुषंगिक व्यय हेतु निदेशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की शेष अवधि में
उपयोग हेतु निम्न रूप में (जिलावार आवंटन सूची के अनुसार) राशि आवंटित की जाती है :-

कोड	विषय शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान (2016-17)	प्रथम चौमाही के लिए कुल आवंटित राशि	शेष अवधि के लिए कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
01 01	वेतन	24,35,27,000	7,63,36,000	15,31,72,000
01 03	जी0या0भत्ता	31,90,20,000	10,27,60,000	20,63,20,000
01 04	मकान भत्ता	3,81,44,000	97,55,200	1,90,73,200
01 05	परिवहन भत्ता	1,27,000	41,910	84,000
01 06	चिकित्सा भत्ता	18,66,000	5,90,600	11,81,200
01 07	अन्य भत्ता	16,000	5,280	10,720
कुल वेतन		60,27,00,000	18,94,88,990	37,98,41,120
06 01	चिकित्सा प्रतिपूति	7,00,000	2,05,000	1,50,000
11 01	यात्रा व्यय	4,00,000	1,32,000	2,34,000
13 01	कार्यालय व्यय	7,00,000	2,31,000	4,69,000
13 06	वर्दी/पोशाक	1,00,000	0	1,00,000
16 01	प्रकाशन एवं मुद्रण	6,00,000	1,98,000	4,02,000
20 02	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	29,00,000	9,57,000	19,43,000
20 03	प्रशिक्षण व्यय	4,00,000	1,32,000	68,000
28 01	व्यवसायिक एवं विशेषसेवाएँ	3,00,000	99,000	2,01,000
52 01	मशीने एवं उपस्कर	7,00,000	2,31,000	4,69,000
कुल योग		60,95,00,000	19,16,73,990	38,38,77,120

(कुल आवंटित राशि:-अड़तीस करोड़ अड़तीस लाख सतहत्तर हजार एक सौ बीस रुपये मात्र)

2/ यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0, दिनांक-17.04.98, 423/वि0,
दिनांक- 31.03.2016 एवं 2793/वि0, दिनांक 04-04-2016 के आलोक में स्वीकृत है। वित्त विभाग के
पत्रांक 400/वि0, दिनांक 16.05.04 के आलोक में यदि वेतन मद की किसी उप इकाई में राशि का आवंटन
आवश्यकता से कम हुआ हो तो उक्त मद की राशि की पूर्ति वेतन/वेतन मद की किसी दूसरी उप इकाई में
आवंटित राशि से की जा सकती है। राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के अद्यतन आदेशों-निदेशों
का कड़ाई से पालन किया जाए।

3/ आवंटित राशि के विरुद्ध निकासी का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय, पटना से कराये
जाने के संबंध में समय-समय पर प्राप्त वित्त विभाग के निदेशों एवं इस विभाग के पत्रांक-538/रा0,

दिनांक-30.07.05 एवं 1007/रा0, दिनांक-06.12.06 के आलोक में यथा समय कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाए।

4/ राशि की निकासी एवं व्ययन में बिहार वित्त नियमावली, बिहार कोषागार संहिता, बजट मैनुअल एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0, दिनांक-17.04.98 तथा समय-समय पर निर्गत तत्संबंधी आदेशों-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5/ आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की सारी जबाबदेही संबद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6/ बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के आलोक में त्रैमासिक व्यय की सूचना, प्रत्येक तिमाही (जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च) के अन्त में विभागीय फ़ैक्स (0612-22217698)/स्पीड पोस्ट/विशेष दूत से अधोहस्ताक्षरी को विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए।

7/ संबंधित शीर्ष के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले वार्षिक व्यय का इकाईवार आकलन दिनांक 15 जुलाई, 2016 से पहले निश्चित रूप से कर लिया जाए और आवश्यकता से अधिक/कम राशि रहने की स्थिति में अंतरिम प्रत्यर्पण/अतिरिक्त आवंटन के लिये मांग-पत्र विहित प्रपत्र में ही भेजा जाए। सामान्य स्थिति में 15 जुलाई, 2016 के बाद प्राप्त मांग पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। कॉन्फ़ेंस, कार्यशाला, सेमिनार (20 02) विषय शीर्ष मद में आवंटित शत-प्रतिशत राशि का उपयोग जिला स्तर पर समारोह आयोजित करने में किया जाएगा।

8/ वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्र में तैयार कर दिनांक 15 अगस्त, 2016 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दिया जाय। विलम्ब से प्राप्त बजट प्राक्कलन पर विचार नहीं किया जा सकेगा तथा इस से उत्पन्न होने वाली स्थिति की जिम्मेवारी आपकी होगी।

9/ चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्त आवंटन, कुल व्यय की गई राशि, कुल अवशेष तथा कुल प्रत्यर्पित की जाने वाली राशि की सूचना विहित प्रपत्र में 31 मार्च, 2017 तक निश्चित रूप से इस विभाग को दे दी जाए ताकि समेकित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन वित्त विभाग को यथासमय उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई नहीं हो।

10/ उप आवंटन निर्गत करने तथा राशि की निकासी/व्ययन की कार्रवाई के क्रम में सेवानिवृत्त/बिमार/मृत्यु/निलंबित कर्मचारियों के बकाया वेतनादि/सेवान्त लाभ/जीवन निर्वाह भत्ता/कम्प्यूटर प्रशिक्षण की राशि के भुगतान तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जिला पदाधिकारी, अरवल के लिए आवंटित राशि में मो0 नाजीर हसन, सेवानिवृत्त उर्दू अनुवादक, करपी प्रखण्ड के बकाये वेतन के भुगतान हेतु 13,00,000 रु0 (तेरहलाख लाख रुपए) अतिरिक्त आवंटन शामिल है।

11/ प्रथम चौमाही के लिए निर्गत आवंटनादेश सं0 02/आ0, दिनांक 22-04-16 के साथ संलग्न आवंटन सूची के क्रमांक- 08 पर वैशाली जिले के लिए आवंटित राशि 69,68,400/- उनहत्तर लाख अड़सठ हजार चार सौ रुपए मात्र है। भूलवश कॉलम-16 में उनसठ लाख अड़सठ हजार चौर सौ रुपए मात्र अंकित हो गया है उसे इस हद तक संशोधित समझा जाए।

12/ आवंटनादेश के प्रस्ताव में प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वामाजन्,

13/5/16
(इम्तियाज अहमद करीमी)
निदेशक (उर्दू)

ज्ञाप संख्या-उ0नि0-बजट-39/2016/.....03/31/रा0, पटना, दिनांक-13 मई, 2016

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/16
(इम्तियाज अहमद करीमी)
निदेशक (उर्दू)

ज्ञाप संख्या- उ0नि0-बजट-39/2016/.....03/31/रा0, पटना, दिनांक-13 मई, 2016.

प्रतिलिपि बजट शाखा/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में)/स्थापना शाखा, उर्दू निदेशालय एवं आई.टी. मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/16
(इम्तियाज अहमद करीमी)
निदेशक (उर्दू)

